

Rk



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2015

सा.का.नि. 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 तथा सीमा सुरक्षा बल, मोटर यातायात कर्मशाला, निरीक्षक (तकनीकी) भर्ती नियम, 2010 को सिवाय उन बातों को अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल के मोटर परिवहन कर्मशाला काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कार्यशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' एवं समूह 'ग' भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।



6. चिकित्सा दृष्ट्या योग्यता—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शोप-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) शोप-1 से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा श्रेणीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है:-

- S-मनोवैज्ञानिक
- H-श्रवण शक्ति
- A-उपांग (अपैन्डेजेस)
- P-शारीरिक क्षमता
- E-नेत्र दृष्टि

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाए शोप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

1. कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।
2. सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।
2. "एस" कारक को छोड़कर, नैमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।
3. अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
5. कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. प्रोन्नति पूर्व कोर्स/आज्ञापक सेवा-पोषक पद के कार्मिकों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में उच्च पद के लिए पदोन्नति हेतु सेवा पात्रता अवधि पूरा करने से पहले योग्यता पाठ्यक्रम/कोर्स के लिए नामित किया जाना चाहिए। बल के इस प्रकार के सभी कार्मिकों को किसी भी प्रोन्नति से पूर्व महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

परन्तु यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की बाध्यता अथवा अन्य कारणों से, ऐसा कोई भी कार्मिक प्रोन्नति से पूर्व कोर्स को उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो महानिदेशक बल के ऐसे कार्मिक को प्रोन्नति कर सकते हैं बशर्ते उस कार्मिक द्वारा प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष के अंदर प्रोन्नति पूर्व कोर्स उत्तीर्ण कर लिए जाएंगे अथवा उसे पदावनत कर दिया जाएगा।

8. अधिवर्षिता—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अन्तिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. अन्य देशीय की अपात्रता—इन नियमों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, सिवाय जिनमें, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में दी गई सहमति के नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल और भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को विवर्जित नहीं करेगी।

11. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।